न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टी0ए0/1094/2004/डूंगरपुर

1. डूँगर उर्फ डूँगर प्रसाद पुत्र गौतम मीणा
2. रमण पुत्र डूंगर
3. सोहन पुत्र डूंगर
4. भंवर पुत्र डूंगर
5. बंसी पुत्र डूंगर
6. पुरबीया पुत्र नाथू मीणा मृतक जरिये वारिसान
   - 6/1 मु0 तुलसी
   - 6/2 देवीलाल पुत्र
   - 6/3 रमेश पुत्र
   - 6/4 प्रकाश पुत्र
   - 65 गोविन्द पुत्र
   - 6/6 मानसिंह पुत्र
   - 6/7 नरेश पुत्र
   - 6/8 काऊ पुत्र
7. डाया पुत्र हवजी मीणा

सभी निवासीगण पादराफला जरेलिया तहसल सागवाडा जिला डूंगरपुर।

अपीलांटस/प्रतिवीदगण....

बनाम

1. फूला पुत्र धूला मीणा डामोर
2. श्रीमती इटली पत्नि फूला मीणा

सभी निवासीगण पादराफला जरेलिया तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर।

रेस्पो0/वादीगण....

3. वालेंग पुत्र जीवा मीणा डामोर निवासी पादराफला जरेलिया तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर।
4. राजस्थान सरकार

प्रतिवादी/रेस्पो0...

खण्डपीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थितिः–
श्री अशोक नाथ, अभिभाषक अपीलांटस
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांकः 05.7.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर दिनांक 29.11.2005 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। जिसके द्वारा उन्होंने उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.4. 02 को यथावत रखा।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सागवाडा के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 व 2 /वादीगण ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करते कथन किया कि वादीगण/रेस्पो0 एवं प्रतिवादीगण/अपीलांटस ग्राम पादरा में निवास करते है जिसके खाता नं0 330 जिसके कुल रकबा 16 कुल किता 15 बीघा 18 बिस्वा भूमि वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। उपरोक्त भूमि वादीगण/रेस्पो0 को लीलीबाई बेवा सवजी डामोर से रजिस्टर्ड बक्सीसनामे से प्राप्त हुई है। लीलाबाई के कोई पुत्र नहीं होने से वादी /रेस्पो0 इटली उसकी पुत्री होने से उत्तराधिकारी थी तथा फूला इटली का पति है। अतः उक्तानुसार वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 विवादित आराजी पर लंबे समय से कब्जा काश्त करते आ रहे है तथा प्रतिवादीगण/अपीलांटस उक्त भूमि कोई अधिकार व हक नहीं होने के उपरांत भी वह उनके कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते आ रहे है। अतः प्रतिवादीगण/अपीलांटस को इस आशय की निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण/अपीलांटस को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुये वाद में 6 तनकी कायम की जाकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.04.02 के द्वारा वाद वादी के पक्ष में डिक्री कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनंक 26.04.02 के विरूद्व प्रतिवादीगण/अपीलांट ने प्रथम अपील भू प्रबन्ध एवं

पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे अपील अधिकारी ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24.01.04 से अपीलांट्स की अपील खारिज करते हुये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रख दिया । जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस प्रकरण में सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि रेस्पो0 संख्या 2 इटली सवजी की पुत्री है जिसकी शादी फूला के साथ कराई और वह अपनी पति के साथ रहती है। इटली का पिता सवजी अपीलांट का चचेरा भाई है तथा सवजी के सेवा अपीलांट ने की है। इस अनुसार विवादित भूमि परकब्जा अपीलांट का ही बनता है। इटली के पति फूला ने सवजी से उक्त भूमि दान पत्र (बखशीश) करवा ली जबकि सवजी अथवा सवजी की पत्नि लीला बाई को बखशीश करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि सवजी के एक पत्नि और थी तथा लीलाबाई उसके नाते आई हुई है। सवजी मां लीलाबाई के साथ आया था,इसलिए सवजी धन्ना का असली पुत्र नहीं है। अपीलांट के पिता गौतमएवं धन्ना भाई थे तथा धन्ना के मरने के बाद से अपीलांट उसकी भूमि पर काबिज है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी/अपीलांट के गवाहों की विवचेन किया उसका वाद खारिज कर दिया तथा उसी आधार पर अपीलाधिकारी ने अपने विधि विरूद्व निर्णय व डिक्री से उसकी अपील खारिज कर दी। विद्वान अभिभाषक ने बहस के समर्थन में 2013 आर0आर0टी0 पेज 1096, 2013 डी0एन0जे0 पेज 185, 196, 2016 आर0बी0जे0 137 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो0/वादीगण उक्त खातेदारी भूमि बखशीश नामा से प्राप्त हुई है। ग्राम पादरा में लीलाबाई बेवा सवजी डामोर के संतान में कोई पुत्र नहीं होने से रेस्पो0 संख्या 2 इटली उसकी वारिस पुत्री थी जो जन्म से ही उसक साथ रह रही थी। इटली का विवाह रेस्पों0 संख्या 1 फूला से हुआ और फूला तब

से घर जवाई रहकर उसकी सेवा करता आ रहा है। इटली अपनी सम्पत्ति, जिसमें विवादित आराजी भी शामिल है, अपनी पुत्री व उसकी पति अर्थात रस्पो0 संख्या 1 व 2 बखशीश कर दी। बखशीशनामा रजिस्ट्रार कार्यालय से पंजीबद्व भी करवा रखा है। जिस अनुसार रेस्पो0 उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है। उक्त बखशीशनामें को किसी न्यायालय में उनके द्वारा चुनौती नहीं दी गयी। विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया अपीलांट ने संवत 202 की जमाबंदी पेश की इसमें उनका खाता नहीं है न ही कब्जा है। धन्ना के खाते की कोई नकल पेश नहीं की गयी। अपीलांट द्वारा कथन कहे गये वह मनगढंत व सारहीन है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलांट्स के विरूद्व फौजदारी प्रकरण भी दर्ज हुये थे जिसका निर्णय भी उसकी विरूद्व ही किया गया है। विद्वान अभिभाषक ने उपरोक्त तथ्यें को मध्यजनर रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया ।

7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में जो बखशीशनामा रेस्पो0 के पक्ष में किया गया उसे किसी न्यायालय में आज तक चुनौती देकर निरस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की गई। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर समुचित तनकी कायम की जाकर तनकीवार निर्णय पारित किया है जो उचित प्रतीत होता है। वादी/रेस्पों0 विवादित आराजी पर राजस्व रिकार्ड में लंबे समय से खातेदार दर्ज चले आ रहे है। अपीलांट्स ने खातेदारी के सबंध में ऐसा कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे उन्हें भूमि का विधिक रूप से खातेदार माना जा सके। अपीलांट्स /प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में उन्हें खातेदार प्रदत्त करने हेतु ऐसा कोई समुचित काउन्टर क्लेम भी प्रस्तुत नहीं किया। सिविल न्यायालय द्वारा भी वादग्रस्त आराजी के सबंध में फौजदारी मामलें दर्ज किये गये जिनका निर्णय भी रेस्पो./वादीगण के पक्ष में ही पाया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष व निर्णय है जो विधिसंगत रूप से किये गये है। जिसमें हम किसी प्रकार से हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

8. परिणामतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों पारित निर्णय दिनांक 24.01.2004 व 26.04.2002 बहाल रखे जाते है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य